राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 15692/2023

1. सतीश कुमार पुत्र श्री समय सिंह, सहायक अभियंता (सिविल), पीडब्ल्यूडी, सब-डिवीजन, वियर, सर्कल भरतपुर, पुष्प में रहते हैं विहार, दैनिक के सामने भास्कर, जनता कॉलोनी, मुंगास्का, अलवर-301001।
2. जय प्रकाश यादव पुत्र श्री जगदीश प्रसाद यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 16, न्यू सिद्धार्थ विहार, 60 फीट रोड, अलवर । वर्तमान में सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण, एसयूआईबी डिवीजन-II, जयपुर के पद पर कार्यरत ।
3. रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री हरिबावा चौधरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, बीपीओ निवासी भटावली, तहसील कुम्हेर, जिला भरतपुर । वर्तमान में सहायक अभियंता, क्यूसी के पद पर तैनात। भरतपुर.
4. हरीश यादव पुत्र श्री दलीप सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम सागर, पोस्ट कलाखरी, तहसील बुहाना, झुंझुनू। वर्तमान में सहायक अभियंता, बुहाना के पद पर तैनात हैं ।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर के माध्यम से प्रतिनिधित्व।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
3. मुख्य अभियंता-सह-अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।
4. लोकेश गुप्ता पुत्र श्री कपूर चंद गुप्ता, वर्तमान में परियोजना निदेशक कार्यालय, आरएसआरडीसी, यूनिट-3, जयपुर में सहायक अभियंता (सिविल) डिप्लोमा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा डी-62-ए, निर्माण नगर, गौतम मार्ग, जयपुर (राजस्थान) में रहते हैं।
5. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़, सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर कार्यरत, डिग्री धारक और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, राजस्थान।

----प्रतिवादी

<u>से जुड़े</u>

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16147/2023

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत तथा मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. लोकेश गुप्ता पुत्र श्री कपूर चंद गुप्ता, निवासी डी-62-ए, निर्माण नगर, गौतम मार्ग, जयपुर (राज.)।
2. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान) के माध्यम से।
3. प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग, भारत सरकार राजस्थान , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
4. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर (राजस्थान)।
5. सतीश कुमार पुत्र श्री समय सिंह, निवासी पुष्प विहार , जनता कॉलोनी, मुंगास्का , अलवर (राज.)।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17604/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. लोकेश गुप्ता पुत्र श्री कपूर चंद गुप्ता, वर्तमान में परियोजना निदेशक कार्यालय, आरएसआरडीसी , यूनिट-3 में सहायक अभियंता (सिविल) एवं डिप्लोमा के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत, निवासी डी-62(ए), निर्माण नगर, गौतम मार्ग, जयपुर, राजस्थान।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।
3. सतीश कुमार पुत्र श्री समय सिंह, सहायक अभियंता (सिविल), पीडब्ल्यूडी, उप-मंडल, वियर, वृत्त भरतपुर ।

----प्रतिवादी

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17623/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सुखविंदर सिंह सलूजा पुत्र श्री कुलदीप सिंह सलूजा , वर्तमान में उपमंडल, ब्यावर , राजस्थान कार्यालय में सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत , प्लॉट नंबर 5, पुष्कर के निवासी गंज , सुनारी का नोहरा , ब्यावर , जिला अलवर , राजस्थान।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17624/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

1. पवन कुमार जैन पुत्र श्री पदम कुमार जैन, वर्तमान में आरएसआरडीसी कार्यालय , यूनिट-4, जयपुर, राजस्थान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं ।
2. बाकलीवाल निवासी भवन , मानक चौक , टोडारायसिंह , जिला टोंक , राजस्थान। सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17627/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. संजय कुमार वर्मा पुत्र श्री यादराम वर्मा , वर्तमान में चिकित्सा स्वास्थ्य प्रभाग, अलवर , राजस्थान के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर सहायक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं , प्लॉट संख्या 231/232, शांति कुंज , अलवर , राजस्थान के निवासी हैं।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17628/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. दिगम्बर सिंह पुत्र श्री कन्हैया लाल, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग कार्यालय , उप-मंडल, चित्तौड़गढ़ , राजस्थान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत। निवासी : प्लॉट संख्या 42, उदय रेजीडेंसी, निम्बाहेड़ा , जिला चित्तौड़गढ़ , राजस्थान।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत तथा मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17629/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

1. शहजाद मोहम्मद पुत्र श्री मोहम्मद नूर, वर्तमान में लोक निर्माण विभाग उपमंडल कार्यालय , बनेला , जिला भीलवाड़ा , राजस्थान में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। निवासी : रज़ामंज़िल , जामा मस्जिद के पास, आशापुरा , मंदिर चौक , जहाजपुर , भीलवाड़ा , राजस्थान।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17632/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. सोहन लाल बैरवा पुत्र श्री भेरू लाल बैरवा , वर्तमान में लोक निर्माण विभाग कार्यालय , उपखंड, कोटोरी, जिला भीलवाड़ा में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत । निवासी : प्लॉट संख्या जी 263, न्यू बापू नगर, सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास, भीलवाड़ा , राजस्थान।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 17633/2023

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर, राजस्थान के माध्यम से।
2. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार , सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
3. मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान

----याचिकाकर्ता

बनाम

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

1. सुरेश चन्द्र लढ़ा पुत्र श्री राम स्वरूप लाढ़ा , वर्तमान में लोक निर्माण विभाग वृत्त, चित्तौड़गढ़ , राजस्थान के कार्यालय में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत हैं। आप प्लॉट संख्या 31-32, मधुबन- V, चित्तौड़गढ़ , राजस्थान के निवासी हैं।
2. सवाई सिंह राठौड़ पुत्र श्री दुर्गा सिंह राठौड़ , सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारक के पद पर कार्यरत और मुख्य अभियंता सह अतिरिक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग, जैकब रोड, सिविल लाइंस, जयपुर, राजस्थान।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(यों) के लिए	:	श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शोवित झाझरिया द्वारा सहायता प्राप्त श्री महेंद्र शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अक्षित गुप्ता द्वारा सहायता प्राप्त
प्रतिवादी(ओं) के लिए	:	श्री जी.एस. गिल, एएजी, श्री सूर्य प्रताप सिंह के साथ श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सी.पी. शर्मा द्वारा सहायता प्राप्त

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित **17/05/2024**

घोषित **30/08/2024**

1. 17/05/2024 30/08/2024 रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में, विवाद का दायरा मोटे तौर पर और मुख्य रूप से कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए निजी-प्रतिवादी के अनुभव के निर्धारण के लिए उठाई गई चुनौती द्वारा परिभाषित किया गया है, जैसा कि राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 22.09.2023 के आदेश के माध्यम से पता लगाया गया है।

2. अतः, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ये रिट याचिकाएँ विधि के सामान्य प्रश्नों पर न्यायनिर्णयन की माँग करती हैं, सभी पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, याचिकाओं को एक सामान्य आदेश के माध्यम से अंतिम रूप से निपटाया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि तर्कों को दर्ज करने के उद्देश्य से, सतीश कुमार एवं अन्य बनाम

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

राजस्थान राज्य एवं अन्य शीर्षक वाली एसबी सिविल रिट याचिका संख्या **15692/2023** को मुख्य फाइल के रूप में लिया जाता है।

3. शुरुआत में, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री आर.एन. माथुर ने प्रस्तुत किया कि दिनांक 22.09.2023 को पारित किया गया आदेश न केवल कानून की स्थापित स्थिति का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के पहलू को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों का भी उल्लंघन है, विशेष रूप से राजस्थान राज्य में कार्यकारी अभियंताओं का।

4. यह दावा करते हुए कि दिनांक 22.09.2023 के आदेश के तहत जारी निर्देश मनमाने और कानूनी रूप से निराधार हैं, क्योंकि उनमें कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से 01.04.2008 से सहायक अभियंता के पद पर निजी प्रतिवादियों के अनुभव/सेवा की गणना करने का प्रावधान था, श्री माथुर ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

4.1 सहायक अभियंता का वह पद, जिस पर निजी प्रतिवादी अपनी सेवाएँ दे रहे थे, 27.05.2008 को उन्नत किया गया था । उक्त पद पर ऐसे निजी प्रतिवादियों की पदोन्नति 17.06.2008 को ही प्रभावी हुई थी । अतः, पदोन्नति हेतु अनुभव/सेवा दर्ज करने हेतु निर्धारित वैधानिक तिथि, 01.04.2008 को सहायक अभियंताओं का एक भी पद उपलब्ध नहीं था।

4.2 कि राजस्थान अधीनस्थ अभियांत्रिकी (भवन एवं सड़क शाखा) सेवा नियम 1973 (इसके बाद नियम 1973) के नियम 24 ए के अनुसार, पदोन्नति के प्रयोजन के लिए न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव की गणना 01.04.2023 अर्थात उस पद पर चयन के वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम दिन से सुनिश्चित की जानी है, जिस पद से चयन किया जाना है। इसलिए, यदि निजी प्रत्यर्थियों के अनुभव/सेवा की गणना उनके पद सृजन की तिथि अर्थात 27.05.2008 से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में, निजी प्रत्यर्थी 01.04.2023 तक, राजस्थान इंजीनियरिंग (भवन एवं सड़क शाखा) सेवा नियम, 1954 (इसके बाद, 1954 के नियम) की अनुसूची-I द्वारा निर्धारित न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव रखने में स्पष्ट रूप से विफल रहेंगे।

4.3 यह कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी दिनांक 23.05.2008 की अधिसूचना, जिसके द्वारा 1954 के नियमों की अनुसूची 1 में 'कनिष्ठ पद' शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को **04:31:06 PM** पर डाउनलोड किया गया**)**

को प्रतिस्थापित किया गया था, में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि उक्त अधिसूचना केवल 23.05.2008 को ही लागू होगी, अतः इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं होगा।

4.4 1954 के नियमों पर भरोसा करते हुए, विशेष रूप से नियम 2(एच) जो "सेवा" या "अनुभव" को परिभाषित करता है, नियम 23 ए जो पदोन्नति के लिए मानदंड प्रदान करता है, नियम 24 ए जो पदोन्नति के लिए संशोधित मानदंड, पात्रता और प्रक्रिया निर्धारित करता है और नियम 26 जो डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अनुभव को परिभाषित करता है, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि जब 01.04.2008 को पदोन्नति के लिए कोई स्पष्ट पद उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उन्नयन केवल बाद में अर्थात 23.05.2008 को प्रभावी हुआ था, तो वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार, सहायक अभियंता के पद पर 15 वर्ष का अपेक्षित अनुभव 01.04.2023 तक निजी प्रतिवादियों के पास नहीं था।

4.5. चूंकि 1954 के नियम स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, इसलिए कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव को सहायक अभियंता के पद पर उस तिथि से गिना जाना चाहिए जिस दिन किसी व्यक्ति को 1954 के नियमों के तहत पदोन्नत किया गया हो। जबकि, वर्तमान मामले के तथ्यों में, निजी प्रतिवादी डिप्लोमा धारक होने के कारण, 23.05.2008 को संशोधन के बाद उक्त पद पर पदोन्नत होने के बजाय केवल अपग्रेड किए गए थे ।

4.6 उपर्युक्त तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम आर. संतकुमारी में प्रतिपादित उक्ति पर भरोसा रखा। वेलुसामी और अन्य ने **(2011) 9** एससीसी **510,** बी. थिरुमल बनाम आनंद में रिपोर्ट किया शिवकुमार एवं अन्य बनाम **(2014) 16** एससीसी **593,** देबब्रत दाश एवं अन्य बनाम जतिन्द्र प्रसाद दास एवं अन्य बनाम **(2013) 3** एससीसी **658,** गंगा विशन गुजराती एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य **(2019) 16** एससीसी **28** और झारखंड राज्य बनाम भादे मुंडा एवं अन्य **(2014) 10** एससीसी **398** में रिपोर्ट किया गया ।

4.7 उक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 'पदोन्नति' और 'उन्नयन' दो अलग-अलग अवधारणाएँ हैं और इसलिए, इनमें अंतर किया जा सकता है। इस बिंदु

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को **04:31:06 PM** पर डाउनलोड किया गया)

पर , यह तर्क दिया गया कि उन्नयन में, योग्य उम्मीदवार का मूल्यांकन नहीं किया जाता है और निचले पद को समाप्त करके सीधे उन्नत पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। वर्तमान मामले में, कनिष्ठ अभियंता का पद समाप्त होने के बाद, निजी प्रतिवादियों को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था ।

4.8 पदोन्नति न तो अधिकार का मामला है और न ही सेवा की शर्त। यह राज्य का विशेषाधिकार है। पदोन्नति तभी की जा सकती है जब नियुक्ति के लिए कोई पद रिक्त हो और किसी मौजूदा रिक्ति के अभाव में पदोन्नति नहीं दी जा सकती। (क) वर्तमान मामले में, 01.04.2008 को कोई पद सृजित नहीं हुआ था ;

5. अतः, उपरोक्त तर्कों पर संचयी निर्भरता रखते हुए, श्री माथुर ने निर्णायक रूप से तर्क दिया कि 01.04.2008 को निजी प्रतिवादियों के लिए सहायक अभियंता के पद का कोई सृजन नहीं हुआ था। इस संबंध में अधिसूचना पहली बार 23.05.2008 को अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी की गई थी , जिसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं था। अतः, उक्त अधिसूचना अर्थात 23.05.2008 के जारी होने से पहले, 01.04.2008 से पदोन्नति के अधिकारों का आहरण और/या उपार्जन गलत है । अंत में, यह तर्क दिया गया कि 1954 के नियमों के नियम 2(एच) के अंतर्गत उल्लिखित "सेवा" या "अनुभव" की वैधानिक परिभाषा और नियम 23 ए के अनुसार अनुभव की गणना के अनुसार, अधिकारी द्वारा किए गए वास्तविक कार्य का विश्लेषण किया जाना चाहिए और किसी पूर्ववर्ती तिथि के लिए कार्य की कोई काल्पनिक गणना नहीं की जा सकती, जब पदस्थ पद अस्तित्व में ही नहीं था। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए और निजी प्रतिवादियों को 01.04.2023 को अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार न किया जाए, क्योंकि उनके पास 1954 के नियमों के अनुसार 15 वर्षों का अपेक्षित अनुभव नहीं है, क्योंकि उनका पद 23.05.2008 को ही सृजित किया गया था।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. शर्मा ने तर्क दिया कि कनिष्ठ अभियंता के पद को सहायक अभियंता के पद के साथ पुनर्गठित करने का मूल उद्देश्य और उद्देश्य स्थिरता थी, जिसके कारण निजी प्रतिवादियों जैसे डिप्लोमा धारकों को 25 वर्षों से अधिक समय तक पदोन्नति नहीं मिल पाई थी। इसलिए, राजस्थान राज्य द्वारा 19.03.2007 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक सचेत निर्णय लिया गया और उसे

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

23.05.2008 की अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया गया, और परिणामस्वरूप 27.06.2008 को निजी प्रतिवादियों को पदोन्नति प्रदान की गई।

7. इस पृष्ठभूमि में, श्री शर्मा ने प्रस्तुत किया कि उक्त स्थिति को पूरा करने के लिए, राज्य सरकार ने अपने प्रशासनिक और कमांडिंग विभाग यानी कार्मिक विभाग के तहत आगे की पदोन्नति और अनुभव की गिनती जैसे पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करने और/या प्रदान करने के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए और परिणामस्वरूप, नियम 24 ए (11 ए) को 1973 के नियमों में शामिल किया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि यदि कोई पदोन्नति बाद की तारीख में दी जाती है, लेकिन जो मूल रूप से देय थी, तो प्रभावी तिथि उक्त वर्ष की पहली अप्रैल मानी जाएगी। इसलिए, निजी प्रतिवादियों के अनुभव की गणना के लिए पदोन्नति की तारीख, न्यायाधिकरण द्वारा 01.04.2008 के रूप में सही रूप से निर्धारित की गई थी। इस पहलू पर, विद्वान वकील ने एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **9479/2015,** प्रकाश चंद मीणा बनाम राजस्थान राज्य, में प्रतिपादित इस न्यायालय के कथन पर भरोसा किया, जिसे राज्य द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **4712/1998**, जिसका शीर्षक एम.एल. जैन बनाम राजस्थान राज्य है, में प्रतिपादित उक्ति पर भी भरोसा किया गया और यह निर्णायक रूप से प्रस्तुत किया गया कि चूंकि निजी प्रतिवादियों को रिक्ति वर्ष 2008-2009 के अनुसार पदोन्नत किया गया था, इसलिए पदोन्नति के लिए उनका अनुभव 01.04.2008 से गिना जाना चाहिए था, जिसके अनुसार, उन्होंने कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए 01.04.2023 तक 15 वर्ष का अनुभव रखने के मानदंडों को विधिवत पूरा किया है।

8. उपर्युक्त पर भरोसा करते हुए , प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दिनांक 22.09.2023 का आक्षेपित आदेश विधि की स्थापित स्थिति के अनुरूप पारित किया गया है और परिणामस्वरूप, इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः, वर्तमान याचिकाएँ खारिज की जानी चाहिए।

9. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया, याचिकाओं के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

10. ऊपर उल्लिखित तर्कों पर निष्कर्ष दर्ज करने से पहले , यह न्यायालय इस विवाद की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर संक्षेप में ध्यान देना उचित समझता है। तथ्य नीचे दिए गए हैं :

10.1 कि इस न्यायालय के समक्ष निजी प्रतिवादी, जो विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता थे, प्रारंभ में जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा धारक (सिविल) के पद पर नियुक्त किए गए थे।

10.2 यह कि दिनांक 17.06.2008 को, विभागीय पदोन्नति समिति की दिनांक 10.06.2008 की अनुशंसा के अनुसरण में, उक्त निजी प्रतिवादियों को रिक्ति वर्ष 2008-2009 के लिए सहायक अभियंता डिप्लोमा धारक (सिविल) के पद पर पदोन्नति की अनुमति दी गई थी। (अनुलग्नक ए/3)।

10.3 यह कि 1954 के नियमों के अनुसार, कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए, चैनल 100% सहायक अभियंताओं के माध्यम से पदोन्नति के माध्यम से है, जिसके लिए आवश्यक है कि सहायक अभियंता (सिविल) डिग्री धारकों के पास 5 साल का अनुभव होना चाहिए और इसी तरह, सहायक अभियंता (सिविल) डिप्लोमा धारकों, जैसे कि निजी प्रतिवादियों को, उनकी पदोन्नति से पहले सहायक अभियंता के रूप में 15 साल का अनुभव होना चाहिए।

10.4 निजी प्रतिवादियों ने, जब वे सहायक अभियंता डिप्लोमा धारक (सिविल) के पद पर थे, विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न अपीलें दायर कीं, जिनमें दावा किया गया कि चूंकि उक्त प्रतिवादियों के पास सहायक अभियंता के पद पर 15 वर्ष का अनुभव है, इसलिए उन्हें कार्यकारी अभियंता डिप्लोमा धारक (सिविल) के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए । 15 वर्ष के अपेक्षित अनुभव की आवश्यकता को सिद्ध करने के लिए, निजी प्रतिवादियों ने दावा किया कि चूंकि उन्हें रिक्ति वर्ष 2008-2009 के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था, इसलिए कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिनांक 04.06.2008 के दिशानिर्देशों के अनुसार, अगली पदोन्नति के लिए रिक्तियां पदोन्नति वर्ष अर्थात 2008 की पहली अप्रैल के रूप में निर्धारित की जाएंगी, और इसलिए, निजी प्रतिवादियों के पास कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के लिए 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए

10.5 निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सभी अपीलों में, विद्वान न्यायाधिकरण ने प्रारम्भ में लोक निर्माण विभाग को निजी प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों/कानूनी नोटिसों पर विचार करने के लिए एक स्पष्ट आदेश के माध्यम से निर्देश दिए थे।

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

10.6 दिनांक 25.08.2023 के आदेश के तहत, लोक निर्माण विभाग ने कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति की मांग करने वाले निजी प्रतिवादियों के दावे को अस्वीकार कर दिया, जबकि यह माना गया कि निजी प्रतिवादियों के पास 01.04.2023 तक सहायक अभियंता के पद पर 15 वर्षों का अपेक्षित अनुभव नहीं था और इसलिए, उन्हें रिक्ति वर्ष 2023-2024 के लिए पदोन्नत नहीं किया जा सकता। (अनुलग्नक- ए/1)।

10.7 दिनांक 25.08.2023 के आदेश से व्यथित होकर, निजी प्रतिवादियों ने विद्वान अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष विभिन्न अपीलें प्रस्तुत कीं, और ऐसी अपीलों को दिनांक 22.09.2023 के आदेश के तहत अनुमति प्रदान की गई, जिसके माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश जारी किए गए कि कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से 01.04.2008 से सहायक अभियंता के पद पर निजी प्रतिवादियों की सेवा/अनुभव की गणना की जाए। (अनुलग्नक 1)।

11. इस पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय यह नोट करना उचित समझता है कि इस न्यायालय के विचारणीय केन्द्रीय एवं सर्वोपरि मुद्दा उस तिथि के निर्धारण से संबंधित है, जिसका उपयोग कार्यपालक अभियंता के पद पर अगली पदोन्नति के प्रयोजनार्थ सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत कर्मचारियों के अनुभव की गणना के लिए किया जा सकता है। अतः, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वह प्रश्न जिस पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है, नीचे उल्लिखित है:

> *"क्या निजी प्रतिवादी (डिप्लोमा धारक) जिन्हें दिनांक 23.05.2008 की अधिसूचना और दिनांक 17.06.2008 के पदोन्नति आदेश के अनुसार सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नत और पदोन्नत किया गया था, वे वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यकारी अभियंता (सिविल) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं, विशेष रूप से 1954 के नियमों के अनुसार सहायक अभियंता के पद पर 15 वर्ष का अनुभव रखने की अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए?"*

12. इस न्यायालय के समक्ष अभिलेख के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि कनिष्ठ अभियंता के पद से पदोन्नति में स्थिरता

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

थी और सहायक अभियंताओं के पद 50% सीधी भर्ती से और 50% पदोन्नति से भरे जाते थे, कनिष्ठ अभियंता के पद को सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर उन्नयन करने के लिए वित्त विभाग को कुछ प्रस्ताव भेजे। उक्त प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग ने कनिष्ठ अभियंता के पद को समाप्त कर दिया और उसे सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर उन्नयन कर दिया। यह सुनिश्चित किया गया कि इस प्रकार उन्नयन किए गए पद अर्थात सहायक अभियंता को 100% पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा और इसलिए कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 23.05.2008 की अधिसूचना के तहत आवश्यक संशोधन किए गए। उक्त अधिसूचना में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि सहायक अभियंता (सिविल) का पद सभी कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति होने तक शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा और उसके बाद ही सीधी भर्ती की जाएगी। अतः, चूँकि 1954 के नियमों में 23.05.2008 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा 1954 के नियमों की अनुसूची I में 'कनिष्ठ पद' शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टि प्रतिस्थापित की गई थी, फलस्वरूप सहायक अभियंता का पद 27.05.2008 को उन्नत किया गया और उसके बाद, 17.06.2008 को उक्त पद पर निजी प्रतिवादियों को पदोन्नति प्रदान की गई।

13. इस मोड़ पर, यह न्यायालय यह नोट करना उचित समझता है कि दिनांक 25.08.2023 के आदेश के तहत, लोक निर्माण विभाग ने अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति की मांग करने वाले निजी प्रतिवादियों के दावे को खारिज कर दिया, जबकि यह माना कि सहायक अभियंता के पद पर रिक्तियां केवल 27.05.2008 के आदेश के अनुसरण में उन्नयन के कारण सृजित की गई थीं, जिसके विरुद्ध निजी प्रतिवादियों को पदोन्नत किया गया था और इसलिए, चूंकि पद केवल 27.05.2008 को उपलब्ध हुए, इसलिए अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए उनके अपेक्षित 15 वर्षों के अनुभव की गणना केवल उक्त तिथि से की जा सकती है। इसलिए, 25.08.2023 तक, उनके पास अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए 1954 के नियमों की अनुसूची-I द्वारा अनिवार्य 15 वर्षों का पर्याप्त अनुभव नहीं था।

14. तथापि, दिनांक 27.05.2008 के आदेश (अनुलग्नक ए/7) के अवलोकन से, जिसके माध्यम से कनिष्ठ अभियंताओं के 621 पदों को सहायक अभियंता (सिविल) के पदों में

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

अपग्रेड किया गया था, यह स्पष्ट हो जाता है कि सहायक आयुक्त के पद पर ऐसे अपग्रेडेशन के लिए वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने 19.03.2007 को ही अनुमोदन प्रदान कर दिया था।

15. इस मोड़ पर, यह न्यायालय राज्य द्वारा जारी दिनांक 04.06.2008 के पदोन्नति दिशानिर्देशों (अनुलग्नक ए/8) पर भरोसा करना उचित समझता है, विशेष रूप से, खंड 6.1, 7.5, 7.5.2 और 15.1 केए, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

> **धारा *6.1*** :- रिक्तियों का अवधारण विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष के प्रथम दिवस अर्थात प्रत्येक वर्ष की *1* अप्रैल की वास्तविक रिक्तियों को मिलाते हुए किया जाना है जिसमें पूरे वित्तीय वर्ष की वास्तविक एवं संभावित उपलब्ध होने वाली रिक्तियां सम्मिलित हों।
>
> **धारा *7.5*** :- पूरे वित्तीय वर्ष में वास्तविक रूप से उपलब्ध हो रही रिक्तियां गणना योग्य होंगी जिनमें मरे पद भी सम्मिलित होंग।
>
> **धारा *7.5.2*** :- नवीन पद जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के आयोजन से पूर्व सृजित होते हैं अथवा जो बजट में सम्मिलित किये गये हों या जिनके लिये उस अवधि को जबकी रिक्तियों का अवधारण किया गया, वित्त विभाग द्वारा सहमति दे दी गई हो।
>
> **धारा *15.1* केए**
>
> 'जिन राजसेवकों को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा एक अप्रैल की स्थिति में उपलब्ध स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत किया गया हैं, के अनुभव अवधि की गणना पदोन्नति वर्ष की एक अप्रैल से की जायेगी और उसके बाद अर्थात एक अप्रैल पश्चात उपलब्ध होने वाली रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत राजसेवकों के अनुभव अवधि की गणना पूर्वानुसार ही अर्थात *15.1* के अनुसार (निम्न पद पर नियमित नियुक्ति के बाद के एक अप्रैल से पदोन्नति वर्ष के एक अप्रैल (तक) की जायेगी ''

16. उपरोक्त के अवलोकन के बाद, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि खंड 6.1 के अनुसार, पूरे वित्तीय वर्ष में सभी रिक्तियां, चाहे वे वास्तविक हों या प्रत्याशित, उस वर्ष की पहली अप्रैल को विभाग द्वारा रिक्त के रूप में निर्धारित की जाएंगी। इसी प्रकार, उक्त दिशानिर्देशों का खंड 7.5 स्पष्ट करता है कि एक वित्तीय वर्ष (वास्तविक या प्रत्याशित) में उपलब्ध सभी रिक्तियां पदोन्नति के उद्देश्य से निर्धारित की जाएंगी। इसके अलावा, खंड 7.5.2 ने आगे स्पष्ट किया कि डीपीसी आयोजित करने से पहले या ऐसे पदों के सृजन के लिए जो नए पद सृजित किए जाते हैं, जिनके लिए वित्त विभाग ने अनुमोदन दिया है, ऐसे पदों को उसी वित्तीय

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

वर्ष के विरुद्ध रिक्त माना जाएगा। इसके अनुरूप, खंड 15.1KA ने भी स्पष्ट किया कि निचले पद पर किसी कर्मचारी के अनुभव की गणना उस वर्ष की पहली अप्रैल से की जाएगी जिसमें रिक्ति उत्पन्न होती है।

17. अतः, दिनांक 04.06.2008 के पदोन्नति दिशानिर्देशों के आलोक में, यह उल्लेख किया जाता है कि यह निर्विवाद तथ्य है कि निजी प्रतिवादियों को दिनांक 17.06.2008 के आदेश द्वारा रिक्ति वर्ष 2008-2009 के लिए सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, और खंड 6.1 के अनुसार, रिक्तियों का निर्धारण उक्त वर्ष की 1 अप्रैल, अर्थात् 01.04.2008 को किया गया था। इसके अतिरिक्त, निजी प्रतिवादियों के उक्त पद के उन्नयन हेतु वित्त विभाग का अनुमोदन भी 19.03.2007 को ही प्राप्त कर लिया गया था।

18. इसलिए, दिनांक 04.06.2008 के दिशानिर्देशों के अनुसार, चूंकि निजी प्रतिवादियों को पूर्व वित्तीय अनुमोदन के साथ 17.06.2008 को रिक्ति वर्ष 2008-2009 के विरुद्ध सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, रिक्तियों का निर्धारण 01.04.2008 से माना जाना चाहिए।

19. इस समय, यह न्यायालय 1954 के नियमों के नियम 24-11 ए का भी संज्ञान लेना उचित समझता है, जो पदोन्नति के लिए सेवाओं के अनुभव का निर्धारण, पदोन्नति की वास्तविक तिथि के बजाय रिक्ति वर्ष से करने का प्रावधान करता है। त्वरित संदर्भ के लिए, नियम 24 का उप-नियम 11 ए निम्नलिखित रूप में पुन: प्रस्तुत किया गया है :

> *"(11-ए)*। यदि किसी भी बाद के वर्ष में, इन नियमों के प्रख्यापन के बाद, किसी भी पिछले वर्ष से संबंधित रिक्तियों को उन रिक्तियों के निर्धारण के लिए निर्धारित किया जाता है जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना आवश्यक था, विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में पात्र थे जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, चाहे जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई हो और ऐसी पदोन्नतियां उस विशेष वर्ष के मानदंडों और प्रक्रिया द्वारा शासित होंगी जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, और किसी पदधारी की सेवा / अनुभव जो इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए किसी भी अवधि के लिए गिना जाएगा, जिसके दौरान उसने वास्तव में उस पद के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता। ऐसे व्यक्ति का वेतन जिसे इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उस वेतन पर पुनः

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

निर्धारित किया जाएगा जो उसे अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त होता, लेकिन वेतन का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

20. उप-नियम 11 ए के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पदोन्नति के लिए सेवा का अनुभव रिक्ति वर्ष से निर्धारित किया जाएगा, न कि पदोन्नति की वास्तविक तिथि से। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह एक स्वीकृत तथ्य है कि सहायक अभियंताओं के पद के लिए रिक्ति वर्ष 2008-2009 में उत्पन्न हुई थी और इसलिए, पदोन्नति के अनुभव की गणना के प्रयोजनार्थ, उस वर्ष की 1 अप्रैल तिथि मानी जाएगी जब पदधारियों की पदोन्नति होनी थी, अर्थात वर्ष 2008। इस संबंध में, यह न्यायालय प्रकाश चंद मीणा **(**सुप्रा) मामले में दिए गए इस न्यायालय के आदेश पर भरोसा करना उचित समझता है , जिसमें 1954 के नियमों के नियम 24-11 ए पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने यह माना था कि पदधारी अनुभव की अवधि की गणना उस वर्ष से करने के हकदार हैं जिस वर्ष उनकी पदोन्नति होनी थी, न कि उच्च पद पर पदोन्नति की वास्तविक तिथि से। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

प्रकाश चंद मीणा **(**सुप्रा**)** का पत्र नीचे पुन: उद्धृत है :

> "मेरे विचारार्थ एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता रिक्ति वर्ष *2014-15* के लिए अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नति के पात्र थे। यह *1954* के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए सहायक अभियंता के निम्न पद पर *5* वर्ष के अनुभव को ध्यान में रखते हुए है। *1954* के नियमों के नियम *24* के उप-नियम *11* ए का संदर्भ देना लाभदायक होगा, जो इस प्रकार उद्धृत है*:*
>
> > *"(11-*ए*)*। यदि किसी भी बाद के वर्ष में, इन नियमों के प्रख्यापन के बाद, किसी भी पिछले वर्ष से संबंधित रिक्तियों को पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए आवश्यक रिक्तियों के निर्धारण से संबंधित नियम के उप-नियम *(2)* के तहत निर्धारित किया जाता है, तो विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जो उस वर्ष में पात्र थे जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, भले ही जिस वर्ष में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई हो और ऐसी पदोन्नतियां पदोन्नति के मानदंडों और प्रक्रिया द्वारा शासित होंगी जो उस विशेष वर्ष में लागू थीं जिससे रिक्तियां संबंधित हैं, और किसी भी पदधारी की सेवा / अनुभव जो इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए किसी भी अवधि के लिए गिना जाएगा, जिसके दौरान उसने वास्तव में उस पद के

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को **04:31:06 PM** पर डाउनलोड किया गया**)**

> कर्तव्यों का पालन नहीं किया है जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता। ऐसे व्यक्ति का वेतन जिसे इस प्रकार पदोन्नत किया गया है, उस वेतन पर पुनः निर्धारित किया जाएगा जो उसे अपनी पदोन्नति के समय प्राप्त होता, लेकिन वेतन का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।
>
> उपर्युक्त नियम के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि पद पर पदोन्नति उस विशेष वर्ष में लागू मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी जिससे रिक्तियां संबंधित हैं और जिस पदधारी को पदोन्नत किया गया है, उसकी उच्च पद पर पदोन्नति के लिए सेवा/अनुभव को उस अवधि के लिए गिना जाएगा, जिसके दौरान उसने वास्तव में उस पद के कर्तव्यों का पालन नहीं किया है, जिस पर उसे पदोन्नत किया गया होता।
>
> उपरोक्त नियम के अनुसार , याचिकाकर्ता उस वर्ष से अनुभव की अवधि प्राप्त करने के हकदार थे जब उन्हें निचले पद पर पदोन्नति मिलनी थी। इस मामले में, सहायक अभियंता के पद पर याचिकाकर्ताओं को रिक्ति वर्ष ***2009-10*** के विरुद्ध पदोन्नति दी गई थी। नियम के अनुसार, याचिकाकर्ता ***01.04.2009*** से अपने अनुभव की गणना करने के हकदार हैं।

21. इसी प्रकार, यह न्यायालय भी एम.एल. जैन (सुप्रा) में पूर्व में प्रतिपादित इस न्यायालय के कथन पर भरोसा करना उचित समझता है, जिसका प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :

> "एकमात्र प्रश्न जो निर्धारित किया जाना है वह यह है कि यद्यपि वर्ष *1991-92* के लिए चयन वेतनमान पर पदोन्नति प्रदान की गई है, अवधि की गणना *1.4.92* से की जानी चाहिए या *1.4.92* से। यह विवादित नहीं है कि *1991-92* वर्ष *1.4.91* से शुरू होता है और *31.3.92* को समाप्त होता है। वर्तमान मामले में, यदि याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों के अनुसार भी *1.4.91* को पदोन्नत किया गया है , तो उसका अनुभव *1.4.91* से गिना जाएगा न कि *1992* से। इस संबंध में प्रतिवादियों का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता । अपने तर्कों को प्रमाणित करने के लिए कि अनुभव की गणना के लिए अवधि *1.4.91* से शुरू होनी चाहिए, याचिकाकर्ता जय नारायण मीणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, *1994(3)* डब्ल्यूएलसी *534* में पारित इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है जिसमें यह माना गया था कि जय नारायण मीणा जिन्हें वर्ष *1987-88* आवंटित किया गया था नियमित रूप से चयनित होने के लिए उनमें से किसी एक ने उस मामले में आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिया होगा। इस न्यायालय द्वारा डीबी सिविल विशेष

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)

अपील संख्या *1052/98,* जिस पर *18.1.99* को निर्णय हुआ था, में पारित एक अन्य आदेश में निम्नलिखित निर्णय दिया गया *:*

"संबंधित नियमों और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, चयन वर्ष की पहली अप्रैल, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अनुभव की गणना की तिथि होगी। प्रतिवादी संख्या 1 का चयन वर्ष 1992-93 में आबकारी निरीक्षक ग्रेड 1 के पद पर हुआ था, इसलिए उसका अनुभव संबंधित वर्ष की पहली अप्रैल से गिना जाएगा।"

22. इसलिए, इस तथ्य के संचयी विचार में कि इस न्यायालय के समक्ष निजी प्रतिवादियों को दिनांक 10.06.2008 की डीपीसी अनुशंसा के अनुसरण में 17.06.2008 को रिक्ति वर्ष 2008-2009 के विरुद्ध सहायक अभियंता डिप्लोमा धारक (सिविल) के पद पर पदोन्नति की अनुमति दी गई थी; कि जूनियर इंजीनियरों के 621 पदों के लिए वित्तीय स्वीकृति, जिन्हें सहायक अभियंता (सिविल) के पद पर अपग्रेड किया गया था, वित्त विभाग द्वारा 19.03.2007 को ही स्वीकृत कर दी गई थी; ऐसे पदों के सृजन/उन्नयन के कारण पदोन्नति के पहलुओं को हल करने के लिए जारी किए गए दिनांक 04.06.2008 के विशिष्ट पदोन्नति दिशानिर्देशों के अनुसार, विशेष रूप से खंड 6.1, 7.5 और 7.5.2 के अनुसार, यह नोट किया जाता है कि यह एक निर्विवाद तथ्य है कि निजी प्रतिवादियों को दिनांक 17.06.2008 के आदेश के तहत रिक्ति वर्ष 2008-2009 के लिए सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी, और खंड 6.1 के अनुसार, रिक्तियों का निर्धारण उक्त वर्ष की 1 अप्रैल यानी 01.04.2008 को किया गया है; कि 1954 के नियमों का नियम 24-11 ए पदोन्नति के लिए सेवाओं के अनुभव के निर्धारण के लिए पदोन्नति की वास्तविक तिथि के विपरीत रिक्ति वर्ष से प्रावधान करता है और इसलिए, चूंकि निजी प्रतिवादियों की पदोन्नति के लिए रिक्ति वर्ष 2008-2009 था, अनुभव की गणना करने की तिथि 01.04.2008 मानी जाएगी; कि प्रकाश चंद मीणा **(**सुप्रा) में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 1954 के नियमों के नियम 24-11 ए पर भरोसा करते हुए यह माना कि पदधारी अनुभव की अवधि की गणना उस वर्ष से करने के हकदार हैं जब वे पदोन्नति के लिए नियत थे, न कि उच्च पद पर पदोन्नति की वास्तविक तिथि से; कि इसी प्रकार एमएल जैन **(**सुप्रा) में, इस न्यायालय ने माना कि रिक्ति वर्ष 1991-1992 के विरुद्ध पदोन्नत एक कर्मचारी 01.04.1991 से अपने अनुभव की गणना करने के लिए पात्र होगा; इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निजी प्रतिवादियों को रिक्ति वर्ष 2008-2009 के विरुद्ध पदोन्नत किया गया था,

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को **04:31:06 PM** पर डाउनलोड किया गया**)**

कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए उनके अनुभव की गणना 01.04.2008 से की जाएगी, जिसके अनुसार कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत होने के लिए उनके पास 01.04.2023 तक 15 वर्षों का उचित अनुभव होना चाहिए, यह न्यायालय तत्काल याचिका को खारिज करना उचित समझता है।

23. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त टिप्पणियों के आलोक में, रिट याचिकाओं का वर्तमान बैच खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन हैं, तो उनका निपटारा किया जाता है।

(समीर जैन) ,जे

जेकेपी/एस-260-269

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

अधिवक्ता अविनाश चौधरी

(इस मामले में डी.बी.एसएडब्ल्यू/722/2024 और 9 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

(29/05/2025 को 04:31:06 PM पर डाउनलोड किया गया)